<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>पुखराज बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, लूणी)
सू.अ.अपील संख्या 159/2022 व 162/22</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>30.06.22</td><td>अपीलार्थी पुखराज निवासी श्रीराम नगर, खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2022 में उसके द्वारा (1) उपखंड अधिकारी, लूणी कार्यालय में जनवरी, 2020 से आज तक खर्च किये गये बजट के बिलों की प्रतिलिपि (2) उपखंड अधिकारी, लूणी कार्यालय में आवक व जावक रजिस्टर पत्रों की दर्ज रजिस्टर की प्रतिलिपि (3) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखंड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>